

23.05.25

पत्रावली पेश हुई। वकील अभ्यक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अपलोकन करने पर प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सलान किया गया। पत्रावली बाद तरीक तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर छुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.05.25
(किरण पाल)
RAS